सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 165 राँची, शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2022 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

31 मार्च, 2022

संख्या-03/उ०लि०सेवा-39-02/2021-652--भारत का संविधान के अनुच्छेद- 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखंड राज्य के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अधीन झारखंड उत्पाद सेवा में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित द्वारा संशोधन नियमावली, 2021) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**-

(i) यह नियमावली **"झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2022"** कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित द्वारा संशोधन नियमावली, 2021) के नियम 2 में निम्नांकित प्रावधान है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।

उत्पाद लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु हिन्दी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाईपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कम्प्यूटर चालन का ज्ञान आवश्यक होगा। टाईपिंग में अधिकतम 2 प्रतिशत अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी ।"

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता- अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा ।

परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा ।

परंतु अनुकम्पा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी ।

3. झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित द्वारा संशोधन नियमावली, 2021) के नियम 3 में निम्नांकित प्रावधान है :-

(क) "सीधी भर्त्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों की आरक्षणवार अधियाचना प्राप्त होने पर आयोग "झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021" के अंतर्गत विज्ञापन प्रकाशित कर पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण की दक्षता तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग की दक्षता का संचालन करायेगा ।

(ख) कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण से संबंधित परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जायेगी ।"

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :-

सीधी भर्त्ती हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन नियमावली, 2015 (समय-समय पर कार्मिक, प्रशासनिक

सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं पाठ्यक्रम के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकार की अधियाचना के अनुसार संबद्ध प्राधिकार को मेधा सूची उपलब्ध करायेगा ।

4. झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्ते) नियमावली, 2013 (यथा संशोधित द्वारा संशोधन नियमावली, 2021) के नियम 4 में निम्नांकित प्रावधान है :-

''वार्षिक वेतन वृद्धि-इस सेवा के कर्मियों को सरकारी सेवक हिन्दी परीक्षा नियमावली, 1968 के अंतर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने के उपरांत द्वितीय वेतन वृद्धि देय होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी, परंतु बकाया वेतन देय नहीं होगा ।

को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है -

''वार्षिक वेतन वृद्धि - इस सेवा के कर्मियों को सरकारी सेवक हिन्दी परीक्षा नियमावली, 1968 के अंतर्गत हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होने तथा राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में कम्प्यूटर पर टंकण एवं कम्प्यूटर पर कार्य दक्षता परीक्षा में उत्तीर्णता के उपरांत ही द्वितीय वेतन वृद्धि देय होगी। उत्पाद लिपिक को हिन्दी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी टाईपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति तथा कम्प्यूटर चालन का ज्ञान आवश्यक होगा। टाईपिंग में अधिकतम 2 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए ।

परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी, परंतु बकाया वेतन देय नहीं होगा ।

5. विभागीय अधिसूचना संख्या 1223 दिनांक 08.06.2013 एवं 2113 दिनांक 22.11.2021 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 165 -- 50